अपील सूचना अधिकार संख्या 44/2020 (GCMS 2020/00060) (पोस्टल ऑर्डर न. 46एफ/986961) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर

07.03.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2019 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/– रूपया शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना प्रार्थी से दिलवाने और वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.11.2019 के द्वारा जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही है :

1. अपील संख्या CIC/SGNG/2019/115063 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति धारा 6(1) आरटीआई एक्ट
2. पोस्टल ऑर्डर संख्या 41 एफ 577580 की प्रति।
3. प्रथम अपील की प्रति।
4. द्वितीय अपील की प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1073 दिनांक 28.02.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री राधेश्याम गोयल द्वारा निम्न सूचनाएं चाही गई है:

1. अपील संख्या सीआईसी में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति धारा 6(1) आरटीआई एक्ट
2. पोस्टल ऑर्डर संख्या 41 एफ 577580 की प्रति।
3. प्रथम अपील की प्रति।
4. द्वितीय अपील की प्रति।

प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा चाही गई उपरोक्त बिन्दुओं की सूचना के सम्बन्ध में :

उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती हैं राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 चक में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गो तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच में हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। यदि प्रार्थी चाहे तो इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकता है।

इस सम्बन्ध में सूचना नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर क्रमांक [illegible] दिनांक [illegible]2020 द्वारा सूचना भिजवाई गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:45 IST
Reason: SelfAttested

sd-
जिला कोषाधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है **और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही** है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है। परन्तु सूचना का अधिकार 2005 की भावना को देखते हुए जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेख का निरीक्षण करवा दिया जावे और अपीलार्थी यदि किसी निश्चित अभिलेख की सूचना लेना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूकमणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:45 IST
Reason: SelfAttested